



गाथा

हमारा



चौपाल से
भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 30 मई -5 जून 2022, वर्ष-8, अंक-9

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुँरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

तीन जिलों-रायसेन, विदिशा और सीहोर में पायलट प्रोजेक्ट, मुरा भैंस खरीदने पर किसानों को मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को आधी कीमत में मिलेगी हरियाणा की दो मुरा भैंस

भोपाल। विशेष संवाददाता

प्रदेश के किसान हरियाणा की मुरा भैंस पालकर उसका दूध-घी बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे। सरकार लघु सीमान्त किसानों से केवल 50 फीसदी राशि लेने के बाद दो मुरा भैंस उपलब्ध करवाएगी। ये भैंसे हरियाणा से मंगवाई जाएंगी। शुरुआत में प्रदेश के तीन जिलों रायसेन, विदिशा और सीहोर में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसके बाद पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। मप्र में पहली बार

भैंसों के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। वर्तमान में ऐसा प्रोजेक्ट तेलंगाना में संचालित है। एक मुरा भैंस 12 से 15 लीटर दूध रोजाना देती है। पशुपालन विभाग के अनुसार दो भैंसों की कीमत करीब ढाई लाख रुपए होगी। इसमें से एससी-एसटी के किसानों के लिए 75 प्रतिशत राशि सरकार भरेगी और शेष 25 फीसदी राशि किसान भरेगा। सामान्य वर्ग के किसान को भैंस पालने के लिए 50 प्रतिशत राशि देना होगा, शेष बची आधी राशि सरकार भरेगी।



तीन साल में भैंस मरी तो दूसरी मिल जाएगी

हितग्राही द्वारा भैंसों को गर्भवती करने के लिए सेक्स साटैंड सीमन का उपयोग किया जाएगा, जो मुरा बुल का होगा। इसकी खासियत यह होगी कि इसके माध्यम से फीमेल भैंस ही पैदा होगी, जिससे संबंधित हितग्राही की मिनी डेयरी बन जाएगी। इसलिए भैंस को पांच साल रखना अनिवार्य किया गया है। अगर तीन साल में भैंस मरती है तो किसान को दूसरी भैंस मिलेगी।

एक भैंस प्रेगनेंट और दूसरी का बच्चा रहेगा

इस व्यवस्था में संबंधित किसान को दो मुरा भैंस दी जाएगी। इसमें एक भैंस लगभग 5 महीने की प्रेगनेंट रहेगी, जबकि दूसरी भैंस का करीब एक महीने का बच्चा रहेगा। यानी दो में से एक भैंस दूध देती हुई मिलेगी। भैंस का प्रेगनेंसी पीरियड 10 माह का होता है। इस तरह से ऐसा क्रम बनेगा कि एक भैंस लगातार दूध देती रहेगी।

संबंधित किसानों को भैंस को खिलाने के लिए छह महीने का दाना-चारा भी मिलेगा। दो भैंसे ढाई लाख में आएंगी। इसमें इनका बीमा, ट्रांसपोर्ट और चारा भी शामिल है। इसमें से किसान को केवल 62,500 रुपए देना होंगे। शेष 1,87,500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ेगी। यह प्रोजेक्ट अगस्त से शुरू हो सकता है।
डॉ. एचबीएस भदौरिया, एमडी, मप्र पशुधन विकास निगम

मध्यप्रदेश देश का तीसरा राज्य: प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन

प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए 31 मई तक रजिस्ट्रेशन

मप्र के 5710 गांवों में होगी प्राकृतिक खेती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ाया झ्रोन, कहा

भारत 2030 तक झ्रोन हब बनकर दिखाएगा

नई दिल्ली, भोपाल। संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत झ्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने खुद भी झ्रोन उड़ाया। साथ ही साथ उन किसानों से भी बात की जो खेती में झ्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि भारत ने पहला मेक इन इंडिया आई-झ्रोन लॉन्च कर दिया है। इसे वैक्सोन डिलिवरी में इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम ने कार्यक्रम में कहा कि भारत 2030 तक झ्रोन हब बनकर दिखाएगा। मोदी ने उन किसानों से भी बात की जो कि खेती में झ्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मोदी ने निशा सोलंकी, गुजरात के राकेश पटेल से चर्चा की जो कि मार्च 2021 से किसानों में झ्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा मोदी ने एक झ्रोन भी उड़ाकर देखा। झ्रोन की मदद से खाद कैसे डाली जाती है, इसको भी पीएम ने देखा।



भोपाल। संवाददाता

देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में मध्य प्रदेश में एक बड़ी पहल की है। राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और स्थायी कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्राकृतिक क्षेत्र कृषि बोर्ड का गठन किया गया है। इस तरह से प्राकृतिक क्षेत्र बोर्ड का गठन करने वाला मप्र तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले हरियाणा और गुजरात में प्राकृतिक कृषि क्षेत्र बोर्ड का गठन किया जा चुका है। बोर्ड के गठन के बाद से अब राज्य में गुजरात पद्धति को अपनाकर प्राकृतिक खेती की जाएगी। नवगठित बोर्ड की बैठक में शामिल होने के बाद मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि की प्राचीन पद्धति प्राकृतिक कृषि के जरिए मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। प्राकृतिक खेती पद्धति में रासायनिक खाद और उर्वरकों का अभाव है। इससे किसानों की तरफ से जाबरदस्त प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब तक राज्य के 25 हजार से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती करने के लिए अपनी रुची दिखाई है और रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है।



25 हजार किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

इससे पहले शिवराज ने प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया था। इससे किसानों की तरफ से जाबरदस्त प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब तक राज्य के 25 हजार से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती करने के लिए अपनी रुची दिखाई है और रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है।

सभी कृषि विवि में प्राकृतिक खेती होगी अनिवार्य

प्राकृतिक खेती के प्रति सबकी समझ बढ़ाने के लिए सभी कृषि विश्विद्यालयों में प्राकृतिक खेती को अनिवार्य बनाया जाएगा। साथ ही नर्मदा नदी के दोनों तटों पर पांच किमी क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि को प्राथमिकता दिया जाएगा। सीएम ने इसके लिए अधिकारियों को कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं।



सीएम शिवराज भी 5 एकड़ में करेंगे प्राकृतिक खेती

मध्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को लेकर बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। इसके तहत स्वयं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने की घोषणा की है। वहीं सीएम ने प्रदेश के प्रत्येक किसान से कम से कम आधा एकड़ में प्राकृतिक खेती करने की अपील भी की है।

किसान करेंगे हरियाणा और गुजरात की विजिट

प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को अधिक जानकारी देने के लिए किसानों के समूह को एक्सपोजर विजिट के लिए हरियाणा और गुजरात ले जाया जाएगा। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सेवा ली जाएगी। कैड द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दी गयी राशि का इस्तेमाल राज्य में खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। साथ ही आन्धा के जिला स्तरिय टीम का उपयोग प्राकृतिक खेती के लिए किया जाएगा।

मूंग उगाने वाले किसानों की बिजली सब्सिडी पर चलेगी कैंची!

भोपाल। रबी-खरीफ की मुख्य फसलों में गेहूँ और चावल के अलावा मूंग और अन्य फसल उगाने वाले किसानों को अब सब्सिडी वाली बिजली मिलना बंद हो सकती है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच इसको लेकर बात हुई। बिजली सब्सिडी के 22 हजार करोड़ रुपए विभाग की तरफ से मांगे गए तो सीएम ने कहा कि बजट में 12-13 हजार करोड़ दे दिए हैं। बाकी की व्यवस्था अनुपूर्क में हो जाएगी। सीएम व

मंत्रियों ने कहा कि किसानों को सब्सिडी दो मुख्य फसलों की मिलना चाहिए। बाकी अतिरिक्त उगाने वाले किसानों को अब सब्सिडी वाली बिजली मिलना बंद हो सकती है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच इसको लेकर बात हुई। बिजली सब्सिडी के 22 हजार करोड़ रुपए विभाग की तरफ से मांगे गए तो सीएम ने कहा कि बजट में 12-13 हजार करोड़ दे दिए हैं। बाकी की व्यवस्था अनुपूर्क में हो जाएगी। सीएम व



जल्द निर्णय होगा। 10 हॉर्स पावर तक के स्थायी कृषि पंप पर 58 से लेकर 81 रुपए तक प्रति हॉर्स पावर प्रतिमाह सब्सिडी है। 6 दस हॉर्स पावर से अधिक के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन धारकों को 58 से लेकर 81 रुपए प्रति हॉर्स पावर की दर माह सब्सिडी। अस्थायी पंप कनेक्शन पर भी 81 रुपए की प्लेन्ट प्रति हॉर्स पावर की सब्सिडी हर माह है।

प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन किया जाएगा

सीएम ने प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया की गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती पर सफल प्रयोग किया है। उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही संपूर्ण कार्य-योजना को लागू किया जाएगा। प्रदेश में प्राकृतिक खेती की शुरुआत 5710 गांवों से की जाएगी। कई चरणों में यह योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन किया जाएगा। सबसे अधिक गांवों का चयन इंदौर जिले से किया जाएगा। यहां के 610 गांवों को प्राकृतिक खेती के लिए शामिल किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए जो भी प्रेरक होंगे वो 20 गांवों का चयन करेंगे।



पहले बांट दिए करोड़ों, अब तहसीलदार कर रहे वसूली

पीएम किसान सम्मान निधि लौटाने किसानों को नोटिस

भोपाल। संवाददाता

मध्यप्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पीएम सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को 2000-2000 रुपए करके तीन किशतों में प्रत्येक किसान को 6 हजार रुपए दिए, लेकिन अब किसानों से पीएम सम्मान निधि लौटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पहले उन्हें किसान सम्मान निधि लौटाने के लिए नोटिस थमाए गए, लेकिन अब तहसीलदार के माध्यम से वसूली की जा रही है। मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा कई अपात्र किसानों को भी पीएम सम्मान निधि की राशि बांट दी गई है। इन किसानों से अब बांटी गई राशि वापस लेने के लिए नोटिस दिए गए हैं। हालांकि कुछ किसानों ने इस राशि को लौटा दिया है, लेकिन हजारों किसान ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस राशि का उपयोग कर लिया है और अब वे राशि लौटाने के मूड में नहीं हैं। ऐसे किसानों से सरकार अब तहसीलदार के माध्यम से राशि वसूलने में जुट गई है। ऐसे ही एक मामला मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले से भी आया है।

2248 किसानों को बांटे 2 करोड़

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 2 करोड़ 3 लाख रुपए अपात्र किसानों को बांट दिए गए हैं, जिनमें से करीब 667 मृतक किसान हैं। वहीं 1581 किसान ऐसे हैं, जो आयकर दाता हैं, इन किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि वापस करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

अपात्र निकले हजारों किसान

दरअसल पीएम किसान पोर्टल पर 53641 किसानों का पंजीयन है। केंद्र सरकार से मिलने वाली सम्मान निधि के तहत राशि की किशते जारी करने के बाद हजारों अपात्र किसान सामने आए। उन्हें भी योजना की किशते जारी कर दी थीं। पटवारियों द्वारा भौतिक सत्यापन करने के बाद अपात्र निकले किसानों से सरकारी राशि की वसूली का काम चल रहा है। राजस्व विभाग के माध्यम से नोटिस देकर आयकरदाता, व्यापारी, सरकारी कर्मचारियों से राशि की वसूली की जा रही है। मृतक एवं आयकरदाता किसानों की सूची तैयार कर नोटिस देकर राशि का वापस मांगा जा रहा है।

ये किसान माने जाते हैं अपात्र

पीएम एवं सीएम किसान सम्मान निधि के तहत शासन द्वारा सरकारी नौकरी वाले किसान, आयकरदाता, सेवानिवृत्त के बाद 10 हजार से अधिक की पेंशन लेने के साथ ही भूमि धारक व्यवसायी भी अपात्र माना गया है। पोर्टल पर दर्ज किसानों की संख्या के आधार पर शासन की तरफ से बिना जांच किए ही राशि जारी करने से यह गड़बड़ी सामने आई है।

राम वन प्रोजेक्ट: फल खाएंगे सिर्फ पशु-पक्षी

भोपाल में साढ़े चार लाख पौधों का होगा रोपण

भोपाल। संवाददाता

शहर में राम वन प्रोजेक्ट के तहत 4 स्थानों पर साढ़े चार लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। सभी पौधे मध्यप्रदेश की मूल प्रजाति के होंगे। इन पौधों को सुरक्षित व संरक्षित भी किया जाएगा। इन पेड़ों में जो भी फल या उपज होगी, उसके लिए हार्वेस्टिंग नहीं होगी। ऐसे में यहां के फल सिर्फ पशु-पक्षी ही खाएंगे। पक्षियों द्वारा खाए गए फल और बीज सीधे जमीन पर गिरेंगे, जिससे नेचुरल जंगल की तरह राम वन तैयार होगा। इसके लिए राम आस्था मिशन फाउंडेशन, जिला प्रशासन और नगर निगम के बीच अनुबंध हुआ है। जैव विविधता दिवस यानी रविवार से यह प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इसके तहत बनने वाला राम वन ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेगा। यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें नगर निगम कार्बन क्रेडिट लेगा।



यह है कार्बन क्रेडिट

कार्बन बाजार के तहत दुनिया के विभिन्न देश या कंपनियों को उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते एक प्रमाण मिलता है। जिसे सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। इसके आधार पर खरीदारी की जा सकती है।

राम आस्था मिशन शहर में पहला ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे है, जिसमें पौधों के 100 फीसदी सर्वाइवल की गिंमेनरी इसी फाउंडेशन की होगी।
-लखि शाह, प्रोजेक्ट प्रभारी, राम आस्था मिशन फाउंडेशन

अन्नदाताओं का अनरजिस्टर्ड साहूकारों से लिया कर्ज माफ

-आहत किसानों को बड़ी राहत: साहूकारों को संपत्ति भी लौटानी होगी

भोपाल। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक को भी मंजूरी दी गई।

इस निर्णय के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक, जिन्होंने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक ऋण लिया है। साहूकारों से लिया ऋण माफ होगा। वहीं, राशि वसूली के लिए साहूकार द्वारा कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा गिरवी रखी गई संपत्ति को लौटाना होगा। गृहमंत्री व सरकार के प्रयत्न नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार की फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया गया।

सर्वे सैटेलाइट द्वारा किया जाएगा

किसानों का सर्वे सैटेलाइट द्वारा किया जाएगा। सर्वे को लेकर कई शिकायतें आती थीं। इससे किसानों की परेशानी और भ्रम की स्थिति तूर होगी। एक हजार 208 करोड़ रुपए की मनासा सिंचाई उद्घन योजना को मंजूरी मिली है। रवि फसल के लिए 215 गांवों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। उज्जैन के अंदर इस्कॉन मंदिर को भूमि दी जाएगी।

बीमा के लिए सबसे ज्यादा 7 हजार 618 करोड़ राशि 49 लाख किसानों को मप्र सरकार द्वारा पिछली बार भी दी गई थी। इस बार 17 हजार 72 करोड़ रुपए दिए जाने का वित्तीय आकार तय किया है। इसमें 8 हजार 410 करोड़ राशि केंद्र का अंश और शेष अंश राज्य है।

अप्रैल में 186.96 करोड़ की रिकॉर्ड आय

मध्यप्रदेश की कंगाल कृषि उपज मंडियां हो गईं मालामाल

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश के किसानों का मंडी समितियों की विपणन व्यवस्था पर विश्वास होने का परिणाम है कि अप्रैल में मंडियों में रिकॉर्ड आय दर्ज की गई है। गत दिनों मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल द्वारा वरुंचल मीटिंग की गई। जिसमें यह तथ्य सामने आया कि मंडी समितियों में रिकॉर्ड आवक एवं आय दर्ज की गई है। अप्रैल में प्रदेश की मंडियों में 186.96 करोड़ की रिकॉर्ड आय दर्ज की गई। मप्र

राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक ने प्रदेश की समस्त 259 मंडियों के सचिवों एवं सातों संभागों के संभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई। जिसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण एवं मंडी क्षेत्रों में माह-अप्रैल 2022 में कृषि उपजों की दर्ज रिकॉर्ड आवक एवं आय की समीक्षा की गई। जिसमें गतवर्ष माह अप्रैल-2021 में कृषि उपजों की 66.90 लाख टन की तुलना में माह अप्रैल-2022 में कुल आवक 74.67 लाख टन रही है।



आशातीत वृद्धि दर्ज

आय शीर्ष में अप्रैल-2021 की आय 67.84 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल-2022 में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 186.96 करोड़ रुपए रही। कृषि उपजों में प्रमुख रूप से चना में 35.38 प्रतिशत, मसूर में 112.17 प्रतिशत, सरसों में 177.91 प्रतिशत, फल सब्जियों मसालों में 173.87 प्रतिशत एवं गेहूं में आशातीत वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रशंसा के साथ हिदायत

प्रबंध संचालक द्वारा समीक्षा में समस्त मंडी सचिवों एवं संभागीय अधिकारियों को उक्त उपलब्धि के लिए प्रशंसा की गई। साथ ही साथ आवक में कमी होने वाली मंडी समितियों के सचिवों को कारण स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए। जिसमें मुख्य रूप से सीहोर, बरेली, बनापुरा, नरसिंहगढ़ मंडी शामिल है। साथ ही सांवर, बड़नगर, खरगोन तथा हरदा मंडी में कृषि उपजों की आवक कम होने पर अग्रसत्रता व्यक्त की गई।

व्यापारियों ने 100 प्रतिशत गेहूं बाजार से खरीदा

बड़ा झटका:
11 साल में
ऐसा दूसरी
बार हुआ

समर्थन मूल्य पर घट गई 67 फीसदी खरीदी

भोपाल। विशेष संवाददाता

मप्र सरकार ने 17 मई तक सिर्फ 42 लाख टन गेहूं ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा है, जबकि इस बार गेहूं का रकबा 190 लाख हेक्टेयर का था, जिस पर 180 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान था, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते गेहूं का निर्यात बढ़ने, किसानों को सरकार से ज्यादा पैसा सीधे व्यापारियों से मिलने के कारण इस बार सरकारी खरीद 67 प्रतिशत तक घट गई। व्यापारियों ने करीब एक करोड़ टन गेहूं किसानों से खरीदा, जो कि पिछले बार के मुकाबले 100 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल व्यापारियों ने किसानों से 50 लाख टन गेहूं खरीदा था। अभी किसान को व्यापारी 2300 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान कर रहे हैं, जबकि सरकार एमएसपी पर 2015 रुपए दे रही है। इसलिए किसानों का रुझान भी व्यापारियों की तरफ ज्यादा है। हालांकि सरकारी खरीद घटने के बावजूद सरकार के करीब 18000 करोड़ रुपए बच गए हैं। इस पैसे की बड़ी राशि निजी गोदामों के किराए पर खर्च होती है। इस बार कई सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं। ऐसा 11 साल में दूसरी बार हुआ है, जब सरकारी गेहूं की खरीद का बिल सबसे कम आया है। इससे पहले 2016-17 में सरकार ने 40 लाख टन गेहूं उपार्जन किया था।

दूसरी बात, सरकार के अचानक गेहूं निर्यात रोक देने से व्यापारियों के सामने विकल्प आ गई है। उनका निर्यात होने वाला करीब 2 लाख टन गेहूं गोदामों या फिर बंदरगाहों पर अटक गया है। हालांकि सरकार ने 13 मई तक के तय निर्यात को अनुमति दी है।



इसलिए निजी खरीद को बढ़ावा मिला

पहली-निजी सेंटों के मुकाबले एमएसपी का रेट कम, इसलिए अब तक एमएसपी पर 42 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, वर्ष 2021 में यह 128.16 लाख मीट्रिक टन रहा था। दूसरी- रूस-यूक्रेन युद्ध से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी तो व्यापारियों ने मंडी के बाहर सीधे किसानों से गेहूं खरीदा। गेहूं मंडियों के बाहर ही सीधे खेतों से खरीद लिया। तीसरी- आने वाले समय में रेट बढ़ने की उम्मीद में किसान गेहूं स्टॉक कर रहे हैं। ये समय पर बाजार में उतारेगा।

सरकारी एजेंसी कम खरीदी करेगी

हाल ही में खाद्य विभाग ने माना था कि कम गेहूं उत्पादन और निर्यातकों-व्यापारियों द्वारा स्टॉक करने से 2022-23 में गेहूं की खरीद में साल-दर-साल 55 लाख की गिरावट आएगी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी किसानों से खरीद कम की। केंद्र सरकार ने मई-सितंबर 2022 के दौरान प्रथममंजी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज आवेदन को संशोधित किया था, जिसमें गेहूं की जगह चावल ज्यादा उपलब्ध कराया था।

कम खरीदी से सरकार के 18000 करोड़ बचे

साल	खरीद	एमएसपी (₹)	राशि खर्च
2022-23	42	2015	8463
2021-22	128.16	2015	25,824
2020-21	129.42	1975	25,560
2019-20	73.69	1925	14,185
2016-17	39.92	1525	6,087

(स्रोत-एफसीआई, खरीद लाख टन में, खर्च राशि करोड़ रुपए में)

खरीद की समय सीमा 31 मई तक कर दी गई है। गेहूं की टूटन की सीमा भी 6 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है। हमें उम्मीद है कि शेष अवधि में सरकार इनाम ही और गेहूं खरीद लेगी।

-फैज अहमद, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

इस बार आधार अनिवार्य

सरकार ने इस बार गेहूं की बिक्री के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया था। इसके कारण भी सरकारी उपार्जन केंद्रों में गेहूं बिक्री के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई थी। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़े बताते हैं कि पहले लॉकडाउन के बाद किसानों को राहत देने के लिए मप्र सरकार ने अचानक सरकारी खरीद का आंकड़ा बढ़ा दिया था। नतीजतन 2020-21 में गेहूं का उपार्जन सीधे 55.73 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 129.42 लाख टन हो गया था। 2021-22 में सरकार ने इससे भी 128.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं का अतिरिक्त उपार्जन किया था।

प्रदेश में गर्मी से 20 फीसदी घट गई गेहूं की पैदावार

भोपाल। गर्मी से गेहूं की पैदावार घटी है। इधर, समर्थन मूल्य से अधिक बाजार में भाव जा पहुंचे। इस कारण से पिछले डेढ़ महीने में एक भी किसान सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए नहीं पहुंचा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार गर्मी जल्दी आने से गेहूं की पैदावार में 20 फीसदी की कमी आई है। इसके साथ ही गेहूं का दाना भी पतला हो गया। जिसके कारण उसका वजन भी कम हुआ है। गेहूं की पैदावार घटने से गेहूं की मांग बाजार में बढ़ी है। यही कारण है कि गेहूं किसान समर्थन मूल्य पर न बेचकर सीधे मंडी में व्यापारियों को बेच रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि जब मौसम बदलता है तो उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। पर जब भी अचानक से मौसम में परिवर्तन आता है तो उसका असर खेत में खड़ी फसल पर पड़ता है। क्योंकि ठंड से अचानक गर्मी पड़ने से फसल की नमी जाने लगती है और फसल सूखने लगती है। जिससे जो दाने धीमे धीमे तैयार होने थे वह अचानक आई गर्मी के कारण उनकी नमी जाती रहती है और दाना पतला हो जाता है जिससे उसका वजन भी कम हो जाता है। पैदावार घटने से किसान भी पूरी तरह से गेहूं बेचने के लिए मंडी नहीं पहुंच रहे हैं। किसान गेहूं का अच्छा भाव लेने के लिए फसल को घर में रोककर बैठे हैं।

समर्थन मूल्य केंद्रों पर नहीं पहुंचा बिकने

गोदाम भी खाली पड़े

इस बार समर्थन मूल्य पर अनाज न आने से गोदाम भी खाली पड़े हैं। इधर, सागर में जिन किसानों ने तेजस गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचा है। उस फसल में चमक कम होने से एफसीआई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जिसको लेकर परेशानी आ रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल 31 मई तक सरकारी खरीद करेगी। खाद्य विभाग ने गेहूं की खरीद की तिथि बढ़ा दी है।

मंडराता खतरा देख वैज्ञानिकों ने जताई चिंता

चेतावनी ...तो गर्मी से सुख जाएगी खेतों की नमी

भोपाल। संवाददाता

बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, होशंगाबाद के बाद अब भिंड। इस बार भिंड की तपिश ने वैज्ञानिकों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा, तो 2050 में गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर एक टन (10 क्विंटल) तक घट जाएगा। ऐसे में टोटल एरिया में होने वाला गेहूं का उत्पादन 100 लाख टन तक कम होगा, वर्तमान दौर में इसका मूल्य करीब 20 हजार करोड़ रुपए होता है। इस तरह धान का उत्पादन भी प्रति हेक्टेयर 0.7 टन (7 क्विंटल) तक घटने का अंदेश है। दोनों मिलाकर मध्यप्रदेश का प्रोडक्शन करीब 125 लाख टन तक गिर सकता है। वर्तमान में प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 3.5 टन और चावल की 3.7 टन है। वैज्ञानिकों की मांगें तो 2050 तक मप्र का तापमान एवरेज एक डिग्री तक बढ़ जाएगा। बीते 120 साल का डेटा एनालिसिस करने पर पता चलता है कि मध्यप्रदेश में इस दौरान औसत तापमान सिर्फ एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। भोपाल के मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह बताते हैं कि मप्र सहित भारत में भी 120 सालों के दौरान 0.9 डिग्री तापमान बढ़ा है जबकि पृथ्वी का एवरेज 1 डिग्री है। सबसे ज्यादा बढ़त 1960-70 के बाद हुई है।



विभाग के पास 122 साल का आंकड़ा

भोपाल मौसम विभाग में 1900 से वेदर के आंकड़े रखे जा रहे हैं। 122 साल के दौरान अभी तक मौसम, जलवायु, बारिश में जो बदलाव हुए हैं, उनका समय-समय पर विश्लेषण किया जाता रहा है। मौसम वैज्ञानिक वेदप्रकाश सिंह ने बताया कि मप्र समेत भारत में पिछले 120 सालों के दौरान 0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, इसके दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। मप्र समेत भारत में भी 1960 के बाद तापमान में ग्राह्य अचानक दिखाई दी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के साथ शहरीकरण बढ़ा और इससे तापमान भी बढ़ा। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एडवांस्ड मेटल पैल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने आगामी 2050 तक का अनुमान लगाया है कि तापमान औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, लेकिन यह अब उससे ज्यादा 2 तक पार होता दिखाई दे रहा है।

दुनिया में रिसर्च भी शुरू

एग्रोकल्चर एक्सपर्ट देविंदर शर्मा ने बताया कि ग्लोबल वॉर्मिंग व बढ़ते तापमान का असर सिर्फ किसी राज्य या भारत तक ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में दिखाई दे रहा है। दुनिया की बड़ी मैगजीन 'नेचर' ने कुछ दिन पहले ही यह छापा था कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक इसे लेकर रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें नमी की कमी दूर करने के लिए गेहूं के बीज को जमीन की ज्यादा गहराई में डाल रहे हैं। बीज को 100 से 150 मिलीमीटर गहराई में डालकर उगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अभी 50 मिमी के आसपास ही बीज को जमीन के अंदर डाला जाता है। शर्मा ने कहा कि विदेश में यह प्रयोग सफल होगा कि नहीं, यह रिसर्च पर निर्भर है, लेकिन भारत में यह कैसे संभव होगा। इसके लिए कैसे बीज तैयार करेंगे, जो डेवलप होने में अधिक समय व गहराई लेगा, क्या वह पनप पाएगा कि नहीं। ऐसी गर्मी में कैसे प्रोडक्शन वेस्ट क्वालिटी और समय पर होगा। हिमाचल जैसे एरिया में इस बार तापमान 38-39 डिग्री पार हो गया है, यह चेंजेंस ही तो हैं, सब जिसे 25 डिग्री से ज्यादा तापमान चाहिए ही नहीं, कैसे उसका अच्छा प्रोडक्शन होगा। बढ़ते तापमान के कारण बढ़ी इस चिंता के साथ इसके उपाय तलाशने ही होंगे।



डॉ. सार्वेन्द्र नाथ सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, भिड़पुरी

पेड़-पौधे, फसलें, पशु-पक्षी, छोटे-छोटे जीव, फूल-पत्ती, कवक-एलगी, कैचुये, दीमक, शेर, ऊट, हिरण, गाय-भैंस, भेड़-बकरी, घास-फूस, जलकुंभी, समुद्री जीव आदि सभी जैव विविधता का ही अंग हैं। जैव विविधता के कारण ही खाना-पानी, चारा-दाना, कपड़ा, दवाई, वायु आदि के अलावा आपदाओं से निपटने की ताकत मिलती है। पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी जीव एवं पेड़-पौधे जिनमें जीवन है अर्थात् जो जीवित हैं वह सभी जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं।

नष्ट होती जैव विविधता को बचाने ग्रामीण जीवन शैली जरूरी

पृथ्वी पर जहां भी नजर जायेगी जैव विविधता के अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। परंतु हमारी यह सतरंगी जैव विविधता नष्ट होती जा रही है। इसके कारण अनेकों पंखियों की नस्लों से लेकर फसलों तक की प्रजातियां या तो विलुप्ती हो गई हैं या फिर विलुप्ती के कगार पर हैं। जिस किसी में जीवन है वह सभी जैविक है और इनमें आपस में जो विभिन्नता अथवा विविधता है, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता जीवन का मूल आधार है। इससे ही पृथ्वी पर जीवन चक्र चलता है और बिना इसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैव विविधता पृथ्वी ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों को बनाती है, जिसमें सभी जानवर पौधे और सूक्ष्मजीव शामिल हैं। जैव विविधता हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। आज जैव विविधता कई गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। जैव विविधता का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह मनुष्य ही है। मनुष्य अपने क्रिया-कलापों में बदलाव लाकर जैव विविधता को सहजने और संवरने में योगदान दे सकता है।

विकास और पूंजीवाद से पर्यावरण और जैव विविधता को काफी नुकसान हो रहा है। कई स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक विश्व की 700 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। आज हम फसलों की 75 प्रतिशत आनुवांशिक विविधता को नष्ट कर चुके हैं। जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के पीछे जीव-जंतुओं के प्राकृतिक आवास का विनाश, शिकार जैसी क्रियाएँ एवं बढ़ता प्रदूषण प्रमुख रूप से जिम्मेदार है।

जैव विविधता खेती और किसानों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैव विविधता फसलों और पालतू पशुओं की सभी प्रजातियों/नस्लों और उनके भीतर की विविधता का भी मूल आधार है। जैव विविधता और कृषि का परस्पर संबंध है। जैव विविधता कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं कृषि जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग में योगदान देती है। कृषि में जैव विविधता मुदा और जल संरक्षण, मुदा उर्वरता और परागण जैसी

पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं भी करती है। जैव विविधता के कारण ही उच्च तापमान, ठंड, सूखा, रोगों एवं कीटों और परजीवियों के प्रति सहनशीलता बढ़ाकर बदलते पर्यावरण के अनुकूल विकसित करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। पृथ्वी पर मानव जीवन में कृषि जैव विविधता का महत्व सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तत्वों को शामिल करता है।

मिट्टी में असंख्य सूक्ष्मजीव रहते हैं- जो खेती के लिए लाभदायक और नुकसानदायक दोनों हो सकते हैं।



जैसे- कंचुआ लाभदायक तो दीमक हानिकारक होती है। मित्र कीट और शत्रु कीट खेती को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी किसान की सबसे बड़ी मित्र कीट है, क्योंकि इसके बिना खेती और मानव जीवन संभव नहीं है। मधुमक्खी जैसे मित्र कीट खेती में सहायता करते हैं, वहीं शत्रु कीट हानि पहुंचाते हैं।

आधुनिक कृषि यंत्रों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से भी खेती के मित्र कीट खत्म हो रहे हैं। आधुनिक कृषि में किसानों द्वारा अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। यह रासायनिक मित्र कीटों, सूक्ष्मजीवों से लेकर स्वयं मानव के जीवन पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। अत्यंत हानिकारक कीटनाशक जिसमें, खरपतवारनाशी, कीटनाशी एवं फंफूदनाशी रासायन आते हैं वह खेती में जैव विविधता बनाये रखने में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। अधिक उपज देने वाली हाइब्रिड फसलें के

कारण परंपरागत फसलें और प्रजातियां पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हैं। पशुओं खासकर गायों में क्रॉस ब्रीडिंग को बढ़ावा दिये जाने के कारण भारतीय नस्ल की गायें आज अपना अस्तित्व बचा पाने को विवश हैं। भारत में पायी जाने वाली गायों की नस्लें जैव विविधता का एक अनूठा दारण हैं।

फसल विविधीकरण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संबंधन संभव है। इसके लिए किसानों को क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी, पानी आदि को ध्यान में रखकर ही फसलें-पशु उनकी प्रजातियों और नस्लों का चयन करना होगा। बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में हो रही बढ़ोत्तरी, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए आगे आना होगा। रासायनिक और कीटनाशकों युक्त खेती की दिशा बदलकर जैविक खेती, रसायनमुक्त खेती और गौ-आधारित खेती को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती की अवधारणा को आत्मसात करते हुये जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन एवं वापसा (नमी का संचारण) जैसे घटकों को अपनाकर खेती को पूर्णतः जहर से मुक्त करने की दिशा में ले जाना होगा। पुरानी किस्मों के बीज एवं प्रजातियों को सहजने के लिए आगे आना होगा। एकल फसल प्रणाली के स्थान पर बहु फसली पद्धति/प्रणाली को अपनाना होगा। खेती में हर हाल में फसल चक्र को अपनाना होगा। अधिक से अधिक जैविक एवं हरी खाद का प्रयोग करना होगा। महानगरों, शहरों से लेकर गांव-किसान को पालीथीन का प्रयोग पूरी तरह से बंद करना होगा।

पुरातन ग्रामीण भारतीय जीवनशैली से ही जैव विविधता बच सकती है। आज पुनः उसे वापस अपनाने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों एवं भौतिक साधनों का कम से कम उपयोग और भारतीय औषधी को खान-पान संबंधी विविधता को बचाकर हम अभी भी जैव विविधता को बचाने और सहजने में अपना योगदान देकर आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को छोड़कर जा सकते हैं।

प्राकृतिक संतुलन में तेंदुए की भूमिका

भारत में वन्य प्राणी संरक्षण एक प्राचीन परंपरा रही है, जो कि हमारी आस्था के साथ साथ पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। भारत में दुनिया की लगभग 17-18 जनसंख्या निवास करती है, जबकि उसके पास विश्व का 2.61 क्षेत्रफल है एवं इसमें भी 60: से अधिक भारतीय हाथी, 75 से अधिक बाघ, 100: एशियाई शेर, 85: से अधिक 1 सींग वाला गेडा एवं अन्य वन्यप्राणी अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रहे हैं। तेंदुआ भारतीय उप महाद्वीप के वनों एवं उसके आसपास पाये जाने वाला बिल्ली प्रजाति का एक जीव है। एवं भारत में विगत कुछ वर्षों से संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है क्योंकि इसकी मृत्यु दर बढ़ रही एवं उसके शिकार के साथ साथ उसके रहवास क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के कारण लगातार कमी आ रही है। मध्यप्रदेश में बाघों की आबादी सर्वाधिक होने के साथ साथ तेंदुए की आबादी भी सबसे अधिक भारत में यही मिलती है।



डॉ. माधुबी शिवरंकर
एस.डब्ल्यू.एफ.एफ., नानाजी
देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय, जबलपुर (M.P.)

विगत कुछ समय से जबलपुर के आसपास तेंदुआ का विचरण देखा जा रहा है। प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए प्रत्येक जीव का अपना महत्व है, परन्तु मनुष्यों द्वारा अंधाधुंध विकास इस संतुलन को बिगाड़ रहा है। भारत में वन्य प्राणियों के सांस्कृतिक महत्व होने के बावजूद उन पर अत्याचार कम नहीं हुए है दि वाइल्ड लाइफ टैंड मैनिस्ट्रिंग नेटवर्क ट्रेफिक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कि विश्व में वाइल्डलाइफ ट्रेड इन्फो और जैव विविधता पर पड़ रहे मानवीय प्रभावों और दबावों पर अपना अनुसंधान करती है। इसके अनुसार कोरोना के कारण विश्वव्यापी लाकडाउन में प्रतिबंधित वन्य क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के अपराध में दुगुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया के 60 प्रतिशत जंगली जीव खत्म हुए। मनुष्यों द्वारा जंगल में अत्यधिक हस्तक्षेप एवं वन्यप्राणियों के करीब आने से महामारियों में भी कुछ दशकों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है। वैश्विक समस्या कोविड-19 इसी की उपज माना जा रहा है।

पिछली सदी में लगभग 40000 के आस पास बाघ संपूर्ण भारत में स्वच्छ विचरण कर रहे थे, परन्तु आज वह लगभग 1: हिस्से में सिमट कर रह गये हैं। बाघ एवं

तेंदुआ पारिस्थितिक खाद्य पिरामिड में सर्वोच्च उपभोक्ता है, और उनके संरक्षण के परिणामस्वरूप एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी ट्रोफिक स्तरों का संरक्षण होता है। आज हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या से जूझ रही है। वन्य प्राणी संरक्षण जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

तेंदुआ एक रात्रिचर जीव है एवं रात्रि में ही अपना शिकार करता है एवं मुख्यता यह हिरण प्रजाति के वन्यप्राणियों जंगली शूकर का शिकार करता है। इसके खाल हड्डियों नाखून को मांग हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रही है। यही कारण है कि इसका शिकार सबसे ज्यादा होता है। विश्वभरों के अनुसार तेंदुए सबसे अधिक असुरक्षित संरक्षित क्षेत्र के बाहर होते हैं क्योंकि वे सतत निगरानी में नहीं होते हैं अंधाधुंध विकास, जनसंख्या वृद्धि, कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के विस्तार का दबाव हमारे संरक्षित वन क्षेत्रों पर है।

इन कारणों से वन सिकुड़ते जा रहे हैं एवं वन्यप्राणी क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। घटते हुए वन, अवैध शिकार, मानव-पशु संघर्ष की पारंपरिक चुनौतियों के साथ-साथ वन्य प्राणी कॉरिडोर को विकसित करने की चुनौतियां भी हैं। हम सब भारतीयों को वन्य प्राणी संरक्षण और उनकी सुरक्षा में आगे आना पड़ेगा बहते हुए तेंदुए के लिए हमें नए संरक्षित क्षेत्र बनाने होंगे। वन्यप्राणियों को हमें पहले रक्षा देना होगा क्योंकि यह उनका अधिकार है। तेंदुआ राष्ट्रीय सम्पदा होने के साथ ऊर्जा, शक्ति, वन समृद्धि, बुद्धिमत्ता एवं धीरज का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में हम वन्य प्राणी को घटना नहीं हुई है। हमारे वनों में तेंदुए जैसे दुर्लभ प्राणी भी अपना जीवन स्वच्छ रूप से विचरित कर रहे हैं। अतः समय आ गया है कि तेंदुए को स्वच्छ विचरण के सर्वश्रेष्ठ मौके उपलब्ध कराने होंगे ताकि यह हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिये वरदान साबित हो और यह हम सबके जीवन के लिये भी लाभकारी होगा।

मुरा भैंसों के नर वत्सों की मृत्यु दर चिंतानीय

भारतवर्ष में विश्व की सर्वोत्तम नस्ल मुरा पायी जाती है। मुरा नस्ल हरियाणा एवं पंजाब प्रान्त में पायी जाती है। सारे भारतवर्ष के दुग्ध उत्पादक मुरानस्ल की भैंसों के लिए इन्ही दोनों प्रान्तों के पशु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे पशु पालक भैंसों के वत्सों का पालन पोषण करना एक खर्चीला एवं अनुपयोगी व्यय मानते हैं। कुछ लोगों में यह एक भ्रम है कि भैंसों के बछड़े एवं बछियों की मृत्यु दर अधिक होती है, क्योंकि उनका पालन पोषण नहीं रखखाव ठीक प्रकार से नहीं होता है। अनुसंधान के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में लगभग 40 प्रतिशत बछड़े एवं बछियों 0 से 3 माह की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है।

बछड़े एवं बछियों की मृत्यु दर कम करने एवं स्वस्थ बछड़ा एवं बछड़ी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि भैंसों को जनने के पूर्व स्वस्थ एवं हवादार स्थान पर रखा जावे। मादा के गर्भ में बछड़ों एवं बछियों का अधिकतम विकास अंतिम छह से आठ सप्ताह में होता है। अतः इस अवस्था में मादा को लगभग दो किलो दाना उनके सामान्य दाने से अतिरिक्त प्रदान करना चाहिए। बछड़े के जन्म के पश्चात उसे खोस देनी जितनी जल्दी हो सके पिलाना चाहिए। जिससे तेली में उपलब्ध प्रतिरोधक क्षमता के तत्व बछड़ों के द्वारा ग्रहण कर लिये जायें, इस प्रकार यह तेली 3 से 5 दिनों तक लगातार उनके वजन को 10 प्रतिशत मात्रा में सुबह-शाम में विभाजित कर पिलाना चाहिए इसके पश्चात दूध की एवं दाने की मात्रा निम्न प्रकार से 3 माह तक प्रदान करें। 15 दिनों पश्चात उच्च प्रोटीनयुक्त दाना बछड़ों को देना चाहिए, जैसे-मक्का, मूँगफली की खली, आटे का चोकर, अरहर, चुनी, मछली दाना, नमक, एवं खनिज तत्व।

प्रायः देखा जाता है कि बड़े पशुपालक बछड़े एवं बछियों को बड़े पशुओं के पास ही एक समूह में रख देते हैं ऐसा करते समय पशु वत्स अधिक संख्या में होने के कारण भी मर जाते हैं। बछड़े एवं बछियों को यदि पशुपालक 90 दिनों तक व्यक्तिगत बाड़ों में रखे बछड़े एवं बछियों की विकास दर अच्छी हो सकती है। बछड़े का चिन्हीकरण, रंग अथवा गोदान स्याही से

करना चाहिए। बछड़ों को एक माह की उम्र के बाद प्रतिमाह कृमिनाशक दवा डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। छह माह की उम्र में नर एवं मादा बछड़ों के पृथक-पृथक कर देना चाहिए। यदि मादा बछड़े में 4 से अधिक थन दिखाई दे तो उसे 1 से 2 माह की उम्र में ही अलग कर देना चाहिए। बछड़ों के आवासगृह में खनिज तत्व प्रदान करने वाली ईंट लगा देना चाहिए।

जैसा कि बताया गया है कि वत्सों की 3 माह तक दूध पिलाये इसे कुछ पशुपालक अनावश्यक खर्च मानते हैं। अतः इस खर्च में कमी करने वत्सों को पूर्ण दूध के स्थान पर स्क्रिम मिल्क एवं अन्य दूध के सदृश्य अवयव पिलाये जा सकते हैं।

प्रायः देखा जाता है कि हमारे पशुपालक भाई मादा बछियों का लालन-पालन ठीक तरह से करते हैं। पर नर बछड़ों हेतु उन्हे उचित मात्रा में दूध नहीं पिलाते, जिससे कि नर बछड़ा कमजोरी के कारण काल-कर्वलित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में विगत वर्षों में यह बात देखने आ रही है कि हमारे पशुपालक भाई हमारे ऐसे नर वत्सों को खो रहे हैं।



डॉ. भावना अहरवाल, डॉ.
राहुल शेरर
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा
विज्ञान विश्वविद्यालय

जिनकी भैंसों के प्रजनन में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक 30-40 भैंसों को रखने के लिए एक उच्च उत्पादन क्षमता वाले नर की आवश्यकता होती है। जैसा कि कहा गया है कि नरों का किसी भी भैंसों के समूह में 50 प्रतिशत योगदान होता है। मादा अपने जीवन काल में जहाँ अधिकतम 6-7 बच्चे जनती है। वही एक नर द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा 500-600 भैंसों को गर्भाधन किया जा सकता है, वहीं कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यह संख्या हजारों में हो सकती है। अतः शासन द्वारा ऐसे नर वत्सों को पालन-पोषण के लिए मुरानस्ल के नर-वत्सों के संगोपन के लिए राज्य में एक परिरोजना लागू की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों के माध्यम से 10 लीटर से अधिक दूध देने वाली भैंसों के नर वत्सों को शासन द्वारा छह माह की उम्र में चिन्हीकरण कर खरीदा जायेगा। तत्पश्चात् ऐसे नर वत्सों को क्रय करने के पश्चात् शासन के विभिन्न प्रक्षेत्रों पर पालन-पोषण किया जायेगा। बाद में ऐसे नरों को गाँव-गाँव में वितरित कर आम पशुपालकों को भैंसों की नस्ल सुधार हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रदेश में 50 हजार किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य

सोलर पम्प
अनुदान के लिए
राज्य सरकार ने
मांगे आवेदन

किसानों के खेतों पर सरकार सब्सिडी पर लगाएगी सोलर पम्प



सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार	हितग्राही किसान अंश (रु.)	डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
1 एचपी डीसी सबमर्सिबल	47,213	30 मी. के लिए 4,56,00 शट ऑफ डायनेमिक हेड 45 मी.
2 एचपी डीसी सरफेस	55,819	10 मी. के लिए 1,98,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 12 मी.
2 एचपी डीसी सबमर्सिबल	59,882	30 मी. के लिए 68,400 शट ऑफ डायनेमिक हेड 45 मी.
3 एचपी डीसी सबमर्सिबल	76,312	30 मी. के लिए 1,14,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 69,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 45,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी.
5 एचपी डीसी सबमर्सिबल	1,04,577	50 मी. के लिए 1,10,400 शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 72,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 50,400 शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.
7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल	1,52,365	50 मी. के लिए 1,55,250 शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 1,01,250 शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 70,875 शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.
7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल	1,54,755	50 मी. के लिए 1,41,750 शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94,500 शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 60,750 शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.
10 एचपी डीसी सबमर्सिबल	2,44,543	50 मी. के लिए 2,07,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 1,35,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 94,500 शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.
10 एचपी एसी सबमर्सिबल	2,45,795	50 मी. के लिए 1,89,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 1,26,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 81,000 शट ऑफ डायनेमिक हेड 150 मी.

भोपाल। संवाददाता

देश में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीनकरण उर्जा मंत्रालय के द्वारा कुसुम योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत किसानों को सोलर प्लांट लगाने एवं सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। पात्र किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। किसान इससे बिजली उत्पादन कर सरकार को भी बेच सकते हैं। किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरीद्वी सिंह डंग ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (कुसुम-अ') में अब परफार्मेंस गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावॉट से घटाकर एक लाख कर दी गई है। डंग ने यह जानकारी ऊर्जा भवन में कुसुम-अ' के 71 कृषकों को लेकर ऑफ अवाइड विवरित करते हुए दी। साथ ही उन्होंने कहा की राज्य में मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना के तहत जल्द ही किसानों के खेतों पर सोलर पम्प लगाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में एक हजार ऐसे किसानों के खेतों पर सोलर पंप लगाने का काम प्राथमिकता से शुरू किया जा रहा है। जहां विद्युत की उपलब्धता नहीं है। प्रदेश में 50 हजार किसानों के खेत पर सोलर पंप लगाने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। इससे बिजली-डीजल का खर्चा बचने के साथ 8 घंटे बिजली मिलने से किसानों के अन्य कार्य भी सरलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे।

इस शर्त पर किसानों को मिलेगा सोलर पम्प

सोलर पम्प स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटाकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाए जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटाकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं है। यदि संबंधित कृषक उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।

सोलर पम्प पर इतना मिलेगा अनुदान

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत किसानों को 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पम्प पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को अलग-अलग प्रकार के सोलर पम्प के लिए कितने रुपए देने होंगे इसकी जानकारी नीचे तालिका में दी गई है...

लाभ लेने यहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश राज्य के सभी किसान सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। यहां पर कृषक का मोबाइल नंबर जिससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करना होगा। ऐप्लिकेशन मोबाइल पर ओटीपी भेजकर सही नंबर की जांच करेगा। ओटीपी सत्यापन के उपरान्त कृषक की सामान्य जानकारी दर्ज की जानी होगी। यहां पर किसान का आधार इंकेवायर्स, बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी, जाति स्वधोषणा, जमीन से संबंधित खसरे की जानकारी एवं चढ़ाए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी।

किसान छह जून तक करें आवेदन

भोपाल। संवाददाता

वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में किसान खरीद सीजन के लिए फसलों की तैयारी के कामों में जुट गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को इस वर्ष चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्र का चयन कर उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन होने के उपरान्त इन कृषि यंत्रों को खरीद कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए अभी 4 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जिसका उपयोग खेत की जुताई तथा बीज की बोवनी के लिए किया जा सकता है। इन सभी कृषि यंत्रों पर किसानों को भारी सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वर्गों एवं सभी जिलों के किसानों के लिए कृषि यंत्रों के लक्ष्य जारी किए हैं। किसान इन कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिए गए कृषि यंत्रों पर किसानों को वर्ग के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैल्कुलेटर के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा देख सकते हैं। सरकार किसानों को रोटावेटर, रिवर्सिबल पलाउ, सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल पर सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है।

कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार दे रही सब्सिडी



किसानों को नहीं जमा करना होगा डीडी

योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा महंगे कृषि यंत्रों के लिए 5,000 रुपए का डीडी जमा करना आवश्यक किया गया था। इसके पीछे का तर्क यह दिया गया था कि किसान लॉटरी में आने के बाद भी कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं। लेकिन अब राज्य कृषि यांत्रिक विभाग ने इन कृषि यंत्रों के लिए डीडी की मांग नहीं की है। इसका मतलब यह हुआ है कि आवेदन करते समय किसानों को किसी भी प्रकार की डीडी नहीं लगेगी।

ई-रूपी व्हाउचर्स से होगा अनुदान का भुगतान

अभी तक राज्य के पात्र किसानों को कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे किया जाता था परंतु सरकार ने इस वर्ष किसानों को सब्सिडी के रूप में भुगतान करने के लिए ई-रूपी व्हाउचर्स का उपयोग करने का फैसला लिया है। जिससे सभी पात्र लाभार्थी किसानों को सब्सिडी की राशि ई-रूपी व्हाउचर्स के रूप में दी जाएगी।

25 मई से शुरू हो गया आवेदन

ऊपर दिए गए सभी कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 25 मई 2022 से आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 6 जून तक कर सकते हैं। जिसके बाद किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी निकलने के बाद किसान अपना नाम सूची में देख सकते हैं। चयनित किसान ही अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए पात्र होंगे।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों के पास विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होना जरूरी है। आवेदन के बाद यदि किसान का चयन योजना के तहत हो जाता है तो कृषि अधिकारियों के द्वारा इन दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा।

यह चाहिए दस्तावेज

आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, बी-1 की प्रति और ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन ट्रैक्टर के चालित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास पहले से ट्रैक्टर होना जरूरी है।

अनुदान के लिए आवेदन यहां करें

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा। इसलिए किसान अपना मोबाइल अपने पास रखें। किसान वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।



-कलेक्टर बोले-प्राकृतिक खेती लाभदायक, कम खर्चीली

रासायनिक खेती जमीन और मानव के लिए हानिकारक

-इंदौर को प्राकृतिक खेती में अक्ल बनाने की कवायद

रंवावढा, इंदौर।

इंदौर पिछले पांच साल से पूरे देश में स्वच्छता का सिरमौर बना हुआ है। पिछले दिनों स्टार्टअप से जुड़े एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के कृषि से जुड़े एक एप के संचालक से चर्चा में स्वच्छता की भांति प्राकृतिक खेती में भी इंदौर अक्ल आए यह मंशा जाहिर की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इंदौर जिले को प्राकृतिक खेती में भी अक्ल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इंदौर जिले के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए तीन हजार प्रेरक अलख जगाएंगे। एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे। इसी कड़ी में सिमरौल में शिविर आयोजित किया गया। जिसमें कलेक्टर मनीष सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने महू क्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाने वाले प्रेरकों से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि रासायनिक खेती जमीन और मानव जीवन दोनों के लिए हानिकारक होती जा रही है। अब हमें रासायनिक खेती से बचना होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा है कि गांव-गांव तक प्राकृतिक खेती का प्रसार हो। उन्होंने कहा कि जैविक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती ज्यादा लाभदायक है। यह कम खर्चीली है। किसान आगे आकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इसके लाभ देखें। सबसे पहले वे कम से कम एक बीघा या एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करके देखें, लाभ दिखाई देते पर इसका रकबा बढ़ाएं।

प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाएं

कलेक्टर ने कहा कि इंदौर जिले में प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाया जाएगा। प्राकृतिक खेती के संबंध में जागरूकता लाने के लिए गांव वार पांच-पांच प्रेरक तैयार किए जा रहे हैं, जो स्वयं प्राकृतिक खेती को करेंगे ही साथ ही दूसरे किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहां करीब 100 किसानों ने प्राकृतिक खेती के लिए संकल्प पत्र भरे हैं।

3 हजार प्रेरक गांव-गांव जगाएंगे अलख

प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन एवं प्राकृतिक खेती को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए इंदौर जिले में 3 हजार प्रेरक गांव-गांव में प्राकृतिक खेती का अलख जगाएंगे। इन प्रेरकों को प्रशिक्षित करने के लिए विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञों के साथ ही अन्य प्रतिशैली किसान प्रेरकों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे हैं।

किसानों ने दिखाई रुचि

कार्यक्रम में किसान शशि कुमार पाल और साजिद खान ने विचार प्रकट किए। जबकि जितेंद्र पाटीदार, मनोहर शारदिया ने प्राकृतिक खेती में अपनी रुचि दिखाई। प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ मारुति माने, सुरेश कुमार तिवारी, संतोष सीमवतिया ने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में उप संचालक कृषि शिव सिंह राजपूत, आत्मा परियोजना के संचालक शाली थॉमस, उप संचालक उद्यानिकी वास्कोले सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

-खेती से बढ़ी आमदनी तो हुआ आजीविका में सुधार आधुनिक खेती मथुरा ने तीन गुना बढ़ाई अपनी आय

प्रदीप शर्मा, हरदा।

समय परिवर्तन के साथ किसान आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। नयी तकनीकों को जानकर उन्हें अमल में ला रहे हैं और बंपर पैदावार हासिल कर रहे हैं। यही कारण है कि अब कृषि को भी व्यवसाय के तौर पर देखा जा रहा है। किसान अगर खेती-बाड़ी के प्रति जागरूक होकर कृषि विभाग के सहयोग से आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करें तो वो अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ऐसा ही कुछ किया मथुरा दास ने। हरदा जिले चारखेड़ा गांव के रहने वाले किसान मथुरा दास के पास 40 एकड़ जमीन है। एक समय था जब वो खरीफ सीजन में अरहर और सोयाबीन, रबी सीजन में गेहूँ और चने की खेती किया करते थे। मथुरा दास सीधे भंडारित किए गए बीजों की बोवनी किया करते थे। उन्होंने कभी भी खेती की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें वैज्ञानिक तौर-तरीकों से जर्म के प्रबंधन और रखरखाव के बारे में जानकारी का भी अभाव था। आधुनिक खेती के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। उनकी सालाना आमदनी भी करीबन 5 लाख 57 हजार रुपए थी। परिवार बढ़ रहा था, ऐसे में आमदनी बढ़ाना भी जरूरी था। वो ऐसे विकल्पों की तलाश में थे, जो उनकी आय में बढ़ोतरी कर सकें।



आमदनी हुई तीन गुने से भी ज्यादा

आधुनिक खेती अपनाने से उत्पादन क्षमता भी बढ़ने लगी। सोयाबीन की उत्पादकता प्रति एकड़ 5 क्विंटल से बढ़कर 7.5 क्विंटल हो गई। गेहूँ का भी उत्पादन बढ़ा। जहाँ पहले प्रति एकड़ 14 क्विंटल गेहूँ होता था, अब वो बढ़कर 17.5 क्विंटल हो गया। इसके अलावा, मथुरा दास ने प्रति एकड़ 110 क्विंटल बैंगन की उपज भी प्राप्त की। साथ ही रेशम उत्पादन से प्रति एकड़ के हिसाब से 40 हजार रुपए की आमदनी हुई। इस तरह से जहाँ पहले उनकी सालाना आय करीबन साढ़े 5 लाख रुपए थी। अब खेती की उन्नत तकनीकों और विविधीकरण को अपनाकर उनकी सालाना आमदनी करीबन 17.8 लाख हो गई है।

आजीविका में सुधार

आज की तारीख में मथुरा दास खुशी से बताते हैं कि खेती ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने एक नया ट्रैक्टर, तीन मोटरसाइकिल और नया घर खरीदा है। मथुरा दास वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसार रणनीति तैयार करना, इसे ही अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं। वो अपने साथी किसानों को सुझाव देते हैं कि आज के समय में फसल चक्र, फसल विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाना बहुत जरूरी है।

विशेषज्ञों की सलाह पर किया काम

मथुरा दास ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मुलाकात की। आरईओ की सलाह पर मथुरा दास ने कृषि विज्ञान केंद्र के विषय विशेषज्ञों से मुलाकात की। विशेषज्ञों ने उनके लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर कृषि योजना बनाई। उन्हें जरूरत के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाली कृषि सामग्रियों के इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। आधुनिक खेती को अपनाने हुए एग्रे जैसी नकदी फसल और शहतूत की खेती के साथ रेशम उत्पादन इकाई स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इन सुझावों पर अमल करते हुए मथुरा दास ने गन्ने की खेती के साथ-साथ रेशम कीट पालन भी शुरू कर दिया। मथुरा दास यहाँ नहीं रुके। आधुनिक खेती के उन्नत तरीकों की सफलता को देखते हुए उन्होंने बीज उत्पादन भी शुरू कर दिया।

-रीवा कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. अजय कुमार पांडेय बोले

छोटी-छोटी तकनीक से खरीफ की उत्तम खेती संभव

धनंजय तिवारी, रीवा।

यदि किसान कृषि संबंधी छोटी-छोटी तकनीक, जैसे बीज के अंकुरण की जांच और बीज दर निर्धारण, बीज का कल्चर तथा फर्मुलेशन से उपचार, अपनाएँ तो खेती और उससे होने वाले लाभ में अमूल्य वृद्धि हो सकती है। यह बात कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अजय कुमार पांडेय ने आयोजित 'लागत में कमी के लिए खरीफ की समसामयिक कृषि कार्य प्रशिक्षण' के दौरान कही। उक्त कार्यक्रम संचालक विस्तार सेवाएँ, डॉ. दिनकर शर्मा के निर्देशन में तथा कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ.आईएम खान के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य वक्ता

डॉ. किंजल्क सी सिंह, वैज्ञानिक-विस्तार शिक्षा ने ग्रीष्मकालीन जुताई, धान की श्रीविधि, अरहर की एसपीआई विधि, उद्यानिकी फसलों जैसे फूलों, सब्जियों और फसलदार पौधों की सुरक्षा तथा रख-रखाव की वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी के साथ, कृषि में महिलाओं के योगदान विषय पर भी जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की। कार्यक्रम के संचालक एवं खाद्य वैज्ञानिक डॉ. चन्द्रजीत सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण, जल शक्ति अभियान के तहत मई माह में आयोजित होने वाला तृतीय प्रशिक्षण था।



घर बैठे मिल रहा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण में शामिल किसान मनसुखलाल ने बताया कि वे केंद्र द्वारा आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण में भाग लेते हैं और उन्हें यह प्रशिक्षण घर बैठे ही मिल जाते हैं जो बहुत ही समसामयिक और उपयोगी होते हैं। प्रशिक्षण के समापन सत्र में डॉ. संजय कुमार सिंह, वैज्ञानिक, विस्तार शिक्षा ने सभी प्रतिभागियों का, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार मना। साथ ही आपने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में समस्त प्रतिभागियों को आमंत्रित भी किया।

यह रहे मौजूद

कार्यक्रम में वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान) अखिलेश कुमार पटेल, वैज्ञानिक (उद्यानिकी) डॉ. राजेश सिंह, वैज्ञानिक (शस्य) डॉ. बृजेश तिवारी, वैज्ञानिक (पौध संरक्षण) डॉ. अखिलेश कुमार, वैज्ञानिक (शस्य) डॉ. रिसता सिंह, वैज्ञानिक (पौध रोग) डॉ.केवल सिंह बंधव, वैज्ञानिक (कम्प्यूटर विज्ञान) मृत्युंजय कुमार मिश्रा तथा केंद्र के मौसम वैज्ञानिक सन्दीप शर्मा एवं मंजु शुकला तथा कार्यालय सहयोगी बृजेश कुमार सेन की उपस्थिति रही।

ग्रीष्मकालीन जुताई कीट एवं रोग नियंत्रण में सहायक

गहरी जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़ी फसल के अवशेष, पत्तियां, पौधों की जड़ें और खेत में उगे हुए खरपतवार दब जाते हैं नीचे

गर्मी की गहरी जुताई फसल और जल संवर्धन के लिए लाभकारी

टीकमगढ़। संवाददाता

कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार के साथ ही केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़ और डॉ. सुनील कुमार जाटव द्वारा किसानों को हल्की बारिश हो गई है तो किसान अभी अपने खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति एवं कीटों रोगों को खत्म किया जा सके। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर-नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले पड़ते हैं वह धीरे-धीरे हवा व बरसात के पानी से टूटते रहते हैं। साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़ी फसल के अवशेष की पत्तियां, पौधों की जड़ें एवं खेत में उगे हुए खरपतवार आदि नीचे दब जाते हैं, जो सड़ने के बाद खेत की मिट्टी में जीवाश्म कार्बनिक खादों की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता स्तर एवं मृदा की भौतिक दशा या भूमि की संरचना में सुधार होता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खेत के खुलने से प्रकृति की कुछ प्राकृतिक क्रियाएं भी सुचारू रूप से खेत की मिट्टी पर प्रभाव डालती हैं। चायु और सूर्य की किरणों का प्रकाश मिट्टी के खनिज पदार्थों को पौधों के भोजन बनाने में अधिक सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त खेत की मिट्टी के कणों की संरचना (बनावट) भी दानेदार हो जाती है। जिससे भूमि में वायु संचार एवं जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इस गहरी जुताई से गर्मी में तेज धूप से खेत के नीचे की सतह पर पनप रहे कीड़े-मकोड़े बीमारियों के जीवाणु खरपतवार के बीज आदि मिट्टी के ऊपर आने से खत्म हो जाते हैं। साथ ही जिन स्थानों या खेतों में गेहूं व जौ की फसल में निमेटोड का प्रयोग होता है वहां पर इस रोग की गांठें, जो मिट्टी के अंदर होती हैं, जो जुताई करने से ऊपर आकर कड़ी धूप में मर जाती हैं। अतः ऐसे स्थानों पर गर्मी की जुताई करना नितान्त आवश्यक होती है।



ग्रीष्मकालीन जुताई के लाभ

मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बढ़ोतरी होती है। मिट्टी के पलट जाने से जलवायु का प्रभाव सुचारू रूप से मिट्टी में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है। वायु तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से मिट्टी में विद्यमान खनिज अधिक सुगमता से पौधे के भोजन में परिणत हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई कीट एवं रोग नियंत्रण में सहायक है। हानिकारक कीड़े तथा रोगों के रोगकारक भूमि की सतह पर आ जाते हैं और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी में जीवाणु की सक्रियता बढ़ाती है। यह दलहनी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। ग्रीष्मकालीन जुताई खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है। कांस, मोथा आदि के उखड़े हुए भागों को खेत से बाहर फेंक देते हैं। अन्य खरपतवार उखड़ कर सूख जाते हैं।

गहरी जुताई करना आवश्यक

खरपतवारों के बीज गर्मी व धूप से नष्ट हो जाते हैं। बारानी खेती वर्षा पर निर्भर करती है। अतः बारानी परिस्थितियों में वर्षा के पानी का अधिकतम संचयन करने लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना नितान्त आवश्यक है। अनुसंधानों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि ग्रीष्मकालीन जुताई करने से 31 प्रतिशत बरसात का पानी खेत में समा जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से बरसात के पानी द्वारा खेत की मिट्टी कटाव में भारी कमी होती है। अर्थात् अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि गर्मी की जुताई करने से भूमि के कटाव में 66.5 प्रतिशत तक की कमी आती है। ग्रीष्मकालीन जुताई से गोबर की खाद व अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में अच्छी तरह मिल जाते हैं जिससे पोषक तत्व शीघ्र ही फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं।

ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए मुख्य बातें

ग्रीष्मकालीन जुताई हर दो-तीन वर्ष में एक बार जरूर करें। जुताई के बाद खेत के चारों ओर एक ऊंची मेड़ बनाने से वायु तथा जल द्वारा मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। खेत वर्षा जल सोख लेता है। गर्मी की जुताई हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी करनी चाहिए जिससे खेत की मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले बन सकें, क्योंकि ये मिट्टी के ढेले अधिक पानी सोखकर पानी खेत के अन्दर नीचे उतरगा जिससे भूमि की जलधारण क्षमता में सुधार होता है। किसान यदि आप अपने खेतों की ग्रीष्मकालीन गर्मी की जुताई करेंगे तो निश्चित ही उनकी आने वाली खरीफ मौसम की फसलें न केवल कम पानी में हो सकेंगी बल्कि बरसात कम होने पर भी फसल अच्छी हो सकेगी। खेत से उपज भी अच्छी मिलेगी।

किसान हरी खाद का करें उपयोग

इधर, टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीएस किरार सहित अन्य वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि पहली बारिश होने पर हरी खाद वाली फसलों की बोवनी करें। जिससे खेती की उर्वराशक्ति और उत्पादकता को बढ़ावा जा सकता है। कृषि में दलहनी फसलों का महत्व सदैव रहा है। दलहनी व गैर दलहनी फसलों को उनके वानस्पतिक वृद्धि के समय जुताई करके उपयुक्त पर सड़ने के लिए मिट्टी में दबाना ही हरी खाद कहलाता है। इससे मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। ये फसलें अपनी जलप्राथम्य में उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नत्रजन को सोखकर भूमि में एकत्र करती हैं। हरी खाद के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख फसलें दलहनी फसलों में ढेंचा, सनई, उर्द, मूंग, अरहर, चना, मसूर, मटर, लोथिया, मोट, खेसारी तथा कुल्थी मुख्य हैं। लेकिन जायद में हरी खाद के रूप में अधिकतर सनई ऊंचा, उर्द एवं मूंग का प्रयोग ही प्रायः

अधिक होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित सहजीवी जीवाणु ग्रंथियां वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन को यौगिकीकरण द्वारा पौधों को उपलब्ध कराती हैं। फसल शीघ्र वृद्धि करने वाली



हो। हरी खाद के लिए ऐसी फसल होनी चाहिए जिसमें तना, शाखाएं और पत्तियां कोमल एवं अधिक हों ताकि मिट्टी में शीघ्र अपघटन होकर अधिक से अधिक जीवाणु तथा नाइट्रोजन मिल सके। चर्यायित फसलें मूसला जड़ वाली होनी चाहिए।

हरी खाद के लाभ

हरी खाद केवल नत्रजन व कार्बनिक पदार्थों का ही साधन नहीं है बल्कि इससे मिट्टी में कई पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। नत्रजन के अलावा एक पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। हरी खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है जिससे वायु संचार क्षमता में वृद्धि होती है। अम्लीयता/क्षारीयता में सुधार होने के साथ ही मृदा क्षरण भी कम होता है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्मजीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है। मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा से पोषक तत्वों की हानि भी कम होती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा जनित रोगों में कमी आती है। यह खरपतवारों की वृद्धि भी रोकने में सहायक है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नमदेव-9300034195
 सहैल, राम नेश वर्मा-9131886277
 नरसिंहपुर, प्रहलाद कोर-9926569304
 विदिशा, अश्वेश दुबे-9425148554
 सागर, अनिल दुबे-9826021098
 राहलपुर, मन्वत सिंह राजपूत-9826948827
 दमोह, वंदी वर्मा-9131821040
 टीकमगढ़, नीरज जैन-9893583522
 रायगढ़, गजराज सिंह मीणा-9981462162
 बैतुल, सतीश साहू-8982777449
 मुरैना, अश्वेश दण्डोविया-9425128418
 सिधपुरी, हेमराज मौर्य-9425762414
 गिरफ-नीरज वर्मा-9826266571
 खरगोन, संजय शर्मा-7694897272
 रतना, दीपक गौतम-9923800013
 रीवा-धरमेश रिवाही-9425080670
 रतलाम, अमित निगम-7000714120
 झाबुज-नोमान खान-8770369525



कार्यालय का पता- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, छपपी नगर, जौन-1, भोपाल, मध्य संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री



मध्यप्रदेश की पहचान, उन्नत खेती खुशहाल किसान

बढ़ता गेहूँ निर्यात

मध्यप्रदेश में किसान कल्याण की दिशा में उठाये गये कदमों से गेहूँ का निर्यात तेजी से बढ़ा है।
किसानों की उपज का उचित दाम मिल रहा है।



· वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूँ निर्यातकों को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना लागू।

· इस वर्ष मध्य प्रदेश से गुजरात, आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र के बंदरगाहों से लगे रेलवे रैक पॉइंट्स पर भेजे जा रहे गेहूँ की रैक संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि।

· गेहूँ निर्यात को बढ़ावा देने निर्यातकों को मात्र 1000 रुपये में लायसेंस देने का निर्णय।

· अभी तक 943 निर्यातकों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन।

· इस वर्ष गेहूँ के निर्यात में 8 से 10 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है।

· इस वर्ष मध्य प्रदेश से लगभग 3.00 लाख टन गेहूँ बंदरगाहों तक भेजा जा चुका है। निर्यात के लिए गेहूँ की मांग निरंतर जारी।

कृषि निर्यात प्रकोष्ठ में निर्यातकों की सहायता हेतु एक्सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर 18002333474 जारी।

समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की राह पर मध्यप्रदेश में कृषि और किसान

D-18232/22